संख्या–भा0स0–141/14–2–2015–800(95)/2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषयः– जनपद अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 27.261 की दायीं पटरी पर ग्राम–टप्पल के खसरा संख्या– 412/2 एवं 851 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0758 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/37/2015/एफसी/932, दिनांक 21–10–2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 07 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के साथ प्रस्ताव को मूलरूप में वापस किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में विषयगत प्रस्ताव को मूलरूप में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लगायी गयी 07 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।